माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मुझें अत्यन्त हर्ष हो रहा है । विपुल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस प्रदेश की समृद्ध धरती की जनता की सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है । हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम संसाधनों का विकास तेजी से कर, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आधारभूत संरचना तैयार करेंगे । हमें गर्व है कि सवा साल में राज्य की जनता को सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के पथ पर द्रुत गति से ले जाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं ।

2. गत वर्ष हमें गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा । सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा युद्ध स्तर पर राहत कार्य चालू किया, जिससे प्रदेश की ग्रामीण जनता को भूखमरी, पलायन और बेरोजगारी से मुक्ति मिली । हमारा सौभाग्य हैं कि इस वर्ष प्रचुर वर्षा होने से खाद्यान्न फसलों का भारी उत्पादन हुआ है । किसानों के उत्पाद की सही कीमत मिले तथा किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त रहें, इसके लिए हमारी सरकार ने भागीरथ प्रयास किया । अपने संसाधनों से तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर लगभग 17 लाख टन धान की खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान है । समर्थन मूल्य पर इतना अधिक धान पहले कभी नहीं खरीदी गई ।

3. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी रही है । हम एक भी दिन ओव्हर ड्राफ्ट में नहीं रहे, न हमें भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिन भी अर्थोपाय अग्रिम लेने की ही आवश्यकता पड़ी । यह सिर्फ इसलिए

संभव हो सका कि हमने वित्तीय अनुशासन बनाये रखा और फिजूल खर्ची को रोका है ।

4. अनुत्पादक व्यय में कमी करने की हमारी घोषित नीति का दृढ़ता से पालन किया गया है । सरकार ने कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर व्यय राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत के भीतर सीमित रखा है, इसके कारण सरकार विकास कार्यों में अधिक राशि लगा सकी । सरकार की स्पष्ट नीति है कि आयोजनेत्तर व्यय सीमित रखा जाये, राज्य में आय के स्त्रोत बढ़ाये जाये तथा कर राजस्व में वृद्धि हो और स्थापना व्यय नहीं बढ़े । इसके लिये भर्ती पर प्रतिबंध जारी रखा गया है एवं केवल आवश्यक क्षेत्रों में संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है । आर्थिक सुधार के लिए हमारे द्वारा उठाये गये कदमों से राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है ।

5. नये राज्य का गठन होने के लगभग सवा साल होने पर भी अभी दोनों राज्यों के बीच आस्तियों/दायित्वों का विभाजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है । इस कारण सार्वजनिक उपक्रमों में वेष्टित संपत्ति का परिदृश्य अभी भी अस्पष्ट है । भारत सरकार द्वारा लोक ऋणों का प्रावधिक विभाजन किया है, इसे पूर्ण होने में और समय लगेगा । राज्य में कुछ ही निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों का गठन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

6. कर्मचारियों के विभाजन के लिए गठित लोहानी कमेटी का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से छत्तीसगढ़ को मिलने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या व उससे आने वाले दायित्वों की स्थिति स्पष्ट नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप लोक लेखा का प्रभाजन भी महालेखाकार द्वारा किया

जाना संभव नहीं हो पा रहा है । हमारा प्रयास यह है कि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाए ।

आर्थिक स्थिति

7. अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में राज्य की आर्थिक स्थिति के प्रमुख संकेतक इस प्रकार रहे हैं :-

राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (वर्ष 1993-94) के आधार पर वर्ष 1999-2000 के 14,267.64 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 14,423.15 करोड़ रूपये होना अनुमानित है जो राज्य की उत्पादक गतिविधियों में 1.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इस अवधि में प्रचलित भावों के आधार पर राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 के 20,497.87 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 21,059.80 करोड़ रूपये होना अनुमानित है । इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में प्रचलित भावों के आधार पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 2.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि दर संतोषजनक नहीं है । वृद्धि दर कम रहने का प्रमुख कारण राज्य में सूखे की स्थिति से कृषि उत्पादन में कमी व विभिन्न कारणों से औद्योगिक उत्पादन में कमी है ।

8. 1993-94 के स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1999-2000 में रूपये 6,827 से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में रूपये 6,934 हो गई, जो गतवर्ष की तुलना में 1.57 प्रतिशत अधिक है । इसी अवधि में प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, वर्ष 2000-2001 में रूपये 10,125 रही जो गतवर्ष की प्रतिव्यक्ति आय रूपये 9,808 से 3.23 प्रतिशत अधिक है ।

9. वर्ष 1993-94 के स्थिर भावों के आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक की अवधि में वार्षिक चक्रवृद्धि दर क्रमश: 2.66 एवं 1.03 प्रतिशत रही ।

10. वर्ष 1999-2000 में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्न की स्थिति संतोषप्रद रही । किन्तु वर्ष 2000-2001 में राज्य में व्याप्त सूखे के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन इसके पूर्व वर्ष के 59.17 लाख मेट्रिक टन से घटकर 27.00 लाख मेट्रिक रहा, जो गतवर्ष की तुलना में 54.4 प्रतिशत कम है । परिणाम स्वरूप वर्ष 2000-2001 में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि (पशुपालन सहित) क्षेत्र के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में 2.31 प्रतिशत की कमी हुई है । इसी अवधि में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत गतवर्ष की तुलना में गन्ना के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया, किन्तु तिलहनों के उत्पादन में 40.67 प्रतिशत की कमी आई है । इसी प्रकार सोयाबीन के उत्पादन में भी गतवर्ष की तुलना में 35. 71 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । वर्ष 2001-2002 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 58.16 लाख मेट्रिक टन रखा गया है ।

वार्षिक योजना 2002-2003 का वित्त पोषण

11. वर्ष 2002-03 दसवी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है । अत: इस वर्ष की योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना की बुनियाद होगी । राज्य के विकास में आयोजना व्यय की अहम् भूमिका होती है । अत: राज्य सरकार की सतत् कोशिश यह है कि योजना का आकार बड़ा हो और आयोजना व्यय में अधिक से अधिक वृद्धि हो । राज्य की चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग द्वारा 1312 करोड़ रूपये निश्चित किया गया है । इसके विरूद्ध बजट में वर्ष 2001-02 की पुनरीक्षित अनुमान 1409.38 करोड़ रूपये है । अभी वर्ष 2002-03 की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । योजना आयोग से चर्चा

के उपरान्त इसे अंतिम रूप दिया जा सकेगा । परन्तु बजट के अनुसार वर्ष 2002-03 में राज्य की आयोजना व्यय 1851.71 करोड़ रूपये होने का अनुमान है । इस प्रकार अगले वर्ष राज्य की आयोजना व्यय चालू वर्ष की आयोजना व्यय से लगभग 31.4 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है । आयोजना व्यय वर्ष 2002-03 के कुल व्यय का लगभग 27 प्रतिशत होगा । इस वर्ष सामान्य आयोजना के अन्तर्गत 1050.75 करोड़, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए रूपये 627.00 करोड़ तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत रूपये 173.93 करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

12. उपरोक्त के अलावा केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं निगम प्रवर्तित योजनाओं को मिलाकर राज्य का आयोजना व्यय वर्ष 2001-2002 के 1929.78 से बढ़कर वर्ष 2002-2003 में 2376.47 करोड़ होगा । यह वृद्धि 23.14 प्रतिशत से अधिक है जो राज्य के विकास को गति प्रदान करेगा ।

सामाजिक विकास के कार्यक्रम

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं में एवं मानव संसाधन विकास के लिये किये जा रहे कार्यो एवं अगले वर्ष की योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहूंगा ।

14. प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । ''पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो'' योजना एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ की गई है । इसके क्रियान्वयन से 6 से 14 वर्ष के लगभग 9 प्रतिशत शाला अप्रवेशी बालक/बालिकाएं सत्र 2001-2002 में शालाओं में प्रवेश लिए । राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रथम चरण

में 9 जिलों में 540 नवीन प्राथमिक शाला तथा 6 जिलों में 628 प्राथमिक शाला के माध्यम से अगले वर्ष शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु महती प्रयास किया जाएगा । राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों को पका हुआ मध्यान्ह भोजन देने के लिए इस बजट में 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । इससे प्राथमिक शालाओं में दाखिला बढ़ेगी, साथ ही बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इंदिरा सूचना शक्ति योजना का क्रियान्वयन अब 662 शालाओं में किया जा रहा है, जिनमें लगभग 46273 छात्राएं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं ।

15. वर्ष 2002-2003 में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा । इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है । इस वर्ष रायपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 3 नई प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 50 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये । इसी प्रकार अगले वर्ष बिलासपुर एवं जगदलपुर के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नई प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 1.10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

16. राज्य की जनता को, विशेष कर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, मूलभूत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अगले वर्ष एक नई और अनूठी 'मितानीन' योजना प्रारंभ की जा रही है । सरकार के कारगर प्रयास से इस वर्ष राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया व आन्त्रशोध जैसी बीमारियों के फैलने पर नियंत्रण रखा गया ।

17. राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये इस वर्ष बिलासपुर में एक नया मेडिकल कालेज खोला गया है । रायपुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में आधुनिक एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सवा करोड़ के नवीन उपकरणों का क्रय किया गया है । इस वर्ष भी इस महाविद्यालय के लिए एक करोड़ रूपये से अधिक के नये उपकरण खरीदे जाएंगे । धमतरी, जशपुर, महासमुंद, जांजगीर एवं रायपुर में जिला अस्पताल का उन्नयन, रायपुर में नर्सेस भवन का निर्माण, फूड एवं ड्रग्स टेस्टिंग प्रयोगशाला भवन का निर्माण, मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण आदि चिकित्सा अधोसंरचना के निर्माण हेतु बजट में दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

18. महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए ''छत्तीसगढ़ महिला कोष'' की स्थापना की गई है । देश में राज्य स्तर पर इस तरह का यह पहला प्रयास है । इस कोष से महिला समूहों को छोटे ऋण स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । इस प्रयास से विशेष कर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । महिला कोष के लिए बजट में एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । राज्य में लगभग 4 लाख महिलाओं के लगभग 30,000 हजार समूह बनाये जा चुके हैं । महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य में यह एक रचनात्मक प्रयास है जिससे ग्रामीण परिदृश्य में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन होगा । महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए ग्रामों में आंगनबाडी भवन निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । अगले वर्ष 800 एवं अगले 3 वर्षो में 1500 ऐसे भवन निर्माण किये जाएगे ।

19. राज्य में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दिया गया है । हमारी सरकार ने ''इंदिरा सहारा योजना'' को लागू किया है, जिसके अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष की विधवा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं को 150 रूपये मासिक सामाजिक पेंशन दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष लगभग 95,000 निराश्रित महिलाओं ने पेंशन का लाभ प्राप्त किया है । इस योजना के लिए बजट में 16.25 करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

20. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि राज्य में जनजातियों को तथा अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले तथा राज्य के संसाधनों में उनकी अनुपातिक हिस्सेदारी हो । कुल राज्य आयोजना राशि में राजधानी परियोजना तथा हसंदेव बांगो परियोजना के लिए प्रावधान को छोड़कर आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना राज्य आयोजना का 50 प्रतिशत से अधिक है । इन वर्गों में शिक्षा के प्रसार और शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है । आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है । 6 स्थानों में नये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 7 स्थानों में नये आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए अच्छे स्कूलों में प्रवेश हेतु ''उत्कृष्ट योजना'' प्रारंभ की गई है, जिसके तहत् उन्हें राज्य तथा देश के अच्छे विद्यालयों में शिक्षा का अवसर दिया जाएगा । पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में आगमन भत्ता की राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 800 रूपये किया गया है । शिक्षक-भवन विहीन शालाओं में व आश्रम शालाओं को चरणबद्ध तरीके से भवनयुक्त करने की योजना तैयार की गई है ।

21. प्रदेश में खेलों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है तथा खेल के लिए अधोसंरचना तैयार करने के लिए जिलों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाने की योजना चालू की गई है । इस वर्ष 8 स्टेडियम निर्माण के लिए 1.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

22. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धनतम परिवारों को 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल के वितरण की व्यवस्था की गई है । इस योजना से 2,70,634 परिवार लाभान्वित हो रहे है । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे निराश्रित वृद्ध, जिनकी आयु 64 वर्ष से अधिक है और जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें नि:शुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत 29,440 हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जा रहा है । इस हेतु लगभग 2.14 करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

आर्थिक विकास के कार्यक्रम

23. अध्यक्ष महोदय, जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं तो हमें ग्राम विकास की कल्पना को साकार करना होगा । ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के द्वारा ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए 1266 किलोमीटर लम्बी 275 सड़को के लिए योजना तैयार की गई है एवं 112 सड़को पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । इस वर्ष बजट में इस योजना के लिए 120 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर 42 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में आवास की मूलभूत आवश्यकता की

पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 6.46 करोड़ रूपये तथा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 6.72 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । पंचायतीराज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी राज्य प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है । इसके लिये बजट में 3.00 करोड़ का प्रावधान है ।

24. इस वर्ष प्रदेश के किसानों ने कृषि उत्पादन में विशेषकर धान के उत्पादन में रिकार्ड स्थापित किया है । राज्य में 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादित होने का अनुमान है । दलहन एवं तिलहन के रकबे में भी लगभग दो लाख हेक्टर की वृद्धि हुई है । उद्यानिकी की रकबे में 40,000 हेक्टर की वृद्धि हुई है । राज्य के फसल चक्र में परिवर्तन कर दलहन, तिलहन की फसल व उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा । सिंचाई के साधनों में वृद्धि से फसल चक्र में परिवर्तन सुगम हो जाएगा । प्रदेश में उद्यानिकी योजनाओं के लिए 2 करोड़ रूपये से अधिक राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

25. पशुधन के विकास के लिए कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस वर्ष 1,27,312 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है तथा 32,963 वत्स पैदा किये गये । मत्स्य विकास के लिए प्रदेश में 823 मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया गया है । इनके माध्यम से 1.28 लाख हेक्टयर जल क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है । राज्य में पहली बार 157 तालाबों में झींगा का उत्पादन किया जा रहा है ।

26. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में की जाती रही है । हमारी सरकार का यह संकल्प है कि

इस पहचान को समाप्त कर दें । यह तभी संभव है जब राज्य के जल स्त्रोतों को सही तरीके से विकसित किया जाये । इसलिए सरकार द्वारा जल संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दी गई है । हमने अधूरे सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया है । प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना हसदेव बांगों परियोजना की नहर प्रणाली को 15 माह में पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है । पिछले साल इस योजना के लिये 87 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी, अगले वर्ष 178 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है । इस कार्य को ''टर्न की'' के आधार पर अनुबंधित किया जा चुका है । अकेले इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 64 हजार हेक्टयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचित रकबे का विकास होगा ।

27. नाबार्ड की ऋण सहायता से 92 योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें मार्च, 2002 तक 52 योजनायें पूर्ण की जाएगी । इन से 26,888 हेक्टयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी । चालू वर्ष सिंचाई योजनाओं के लिए नाबार्ड से 76.41 करोड़ रूपये की ऋण राशि प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है । बजट में 171.94 करोड़ रूपये के लागत के 42 नई योजनायें शामिल की गई है तथा इन कार्यो के लिए 25.67 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 4 सिंचाई परियोजनायें विचाराधीन है, जिसमें कैलो परियोजना के लिये सहायता की सहमति भारत सरकार से शीघ्र मिलने की संभावना है ।

28. सूखाग्रस्त वृष्टिछाया क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए ''इंदिरा खेत गंगा योजना'' प्रांरभ की गई है, जिसके अन्तर्गत किसानों को नलकूप खोदने के लिए प्रति नलकूप 25 से 43 हजार रूपये तक अनुदान दिया जाएगा । इस योजना के अन्तर्गत रायपुर, दुर्ग, कवर्धा,

राजनांदगांव व बिलासपुर जिले में 1600 नये नलकूप खोदे जा रहे हैं । इस कार्य हेतु इस वर्ष 12.30 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है ।

29. राज्य में अधोसंरचना के विकास के लिए सड़कों का विशेष महत्व है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2002-2003 को ''सड़क वर्ष'' के रूप में घोषित किया है, जिसके अन्तर्गत सभी सड़कों के रख-रखाव के लिए तथा नवीन सड़कों के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ।

30. लोक निर्माण विभाग के बजट को इस वर्ष के 292.18 करोड़ से बढ़ाकर अगले वर्ष 350.21 करोड़ रूपये किया गया है, ताकि स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं होने पाएं । केन्द्रीय सड़क निधि से भी राज्य के 559 किलोमीटर लंबाई की 15 सड़कों के निर्माण तथा सुधार का कार्य प्रांरभ किया गया है । राज्य के सीमावर्ती छः राज्यों से द्रुतगामी सड़क संपर्क हेतु 2960 किलोमीटर लम्बे दो उत्तर दक्षिण कॉरीडोर एवं चार पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार के विशेष प्रयास से 279 किलोमीटर लम्बे 3 मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है । इसके अलावा 1641 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं । राज्य की अधोसंरचना के विकास में राज्य की सीमित साधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख मार्गों का उन्नयन निजी पूंजी निवेश से करने की नीति के अन्तर्गत 9 मार्ग लिये जा रहे है ।

31. नाबार्ड ऋण पोषित योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं पुल के विकास के लिए 46.83 करोड़ रूपये की लागत की 45 नई सड़कों के लिए 8.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार नवीन

पुलों/सेतुओं के निर्माण के लिए नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 30.32 करोड़ रूपये लागत के 38 नये पुल बनाये जा रहे हैं जिसके लिए 5.79 करोड़ रूपये का प्रावधान शामिल किया गया है । इसके साथ ही विभागीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 नवीन सड़कों के लिए 1.62 करोड़ का प्रावधान तथा 6 नवीन छोटे पुल के लिए 30.04 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

32. एक नये राज्य में शासकीय भवन निर्माण का कार्य भी महत्वपूर्ण है । विभिन्न विभागों के लगभग 23 करोड़ रूपये के लागत के 64 भवन निर्माण के कार्य अगले वर्ष के बजट में शामिल किये गये हैं । इनमें जेलों का उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण, जिला अस्पताल का उन्नयन, न्यायालय भवनों का निर्माण, आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण एवं शालाओं एवं स्कूल भवनों के निर्माण से संबंधित राशि शामिल है ।

33. पेयजल जनता की मूलभूत आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता से पूरा किया जाना है । हमारी सरकार प्रदेश में शत् प्रतिशत ग्रामीण जनता को अगले तीन वर्ष में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना को क्रियान्वित कर रही है । इस वर्ष 49167 बसाहटों में 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार पेय जल की व्यवस्था की गई है । आगामी वर्ष 23248 नये बसाहटों में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा ।

34. शहरी जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत रायपुर शहर की जल आपूर्ति योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है । राज्य में 73.71 करोड़ रूपये लागत की चरौदा, जामुल, कुरूद, बिलासपुर, भिलाई, बैकुण्ठपुर, घरघोड़ा एवं सारंगगढ़ में नई जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए 18.75

करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । सरकार का यह प्रयास है कि सभी अपूर्ण नल जल योजनाओं को दो वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाये ।

35. अध्यक्ष महोदय, वन हमारी प्रदेश की प्रमुख सम्पदा है, जिसे बचाने व विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है । एक ओर जहां राज्य के वनों में औषधीय पौधों के विकास की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षय हुये वनों के स्थान पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना भी हाथ में ली गई है । हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को ''हर्बल स्टेट'' बनाने के लिए जन सहभागिता आधारित लोक संरक्षित क्षेत्र की योजनाएं प्रांरभ की है । वनों के विकास के लिए जगदलपुर में वानिकी अनुसंधान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है । इन कार्यो के लिये विदेश से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

36. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य का देश में ऊर्जा के क्षेत्र में अलग पहचान है । राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद इसका लाभ ग्रामीण जनता को न मिले, यह स्थिति हमें मान्य नहीं है । अत: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य के विद्युत मण्डल द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं । इस वर्ष तीन अतिउच्च ताप उप-केन्द्र एवं 19 33/11 के0व्ही0 क्षमता के उप केन्द्रों की स्थापना की गई है । अगले वर्ष अतिउच्च ताप क्षमता के 9 और उप-केन्द्रों की स्थापना 187 करोड़ रूपये की व्यय से की जाएगी । इस वर्ष 11,063 सिंचाई पम्पों का कार्य पूर्ण किया गया जो एक रिकार्ड है । वर्ष के दौरान 16 गांव एवं 876 मजरे टोलों का विद्युतीकरण किया गया ।

37. अपरंपरागत ऊर्जा को विकसित करने के लिए प्रदेश में ऊर्जा विकास निधि में 5.40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इस वर्ष 1600 बायोगैस संयत्र के निर्माण व 8 ग्रामों का प्रदिप्तीकरण का कार्य प्रगति पर है । भोपालपट्टनम के उसर विकास खण्ड़ों के 90 गांवों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

38. राज्य में द्रुतगति से औद्योगिकीकरण हो इस हेतु सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है । राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने की दृष्टि से प्रथम फूड पार्क राजनांदगांव जिले में विकसित किया जा रहा है । बस्तर में एग्रो पार्क की स्थापना की गई है । भिलाई में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा बिलासपुर जिले में रानी दुर्गावती औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है । औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्प तथा हाथकरघा के विकास के लिए भी सरकार प्रयासरत है । हाथकरघे के विकास के लिए हाथकरघा विपणन तथा सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्रदेश में कुल 21,134 हाथकरघे स्थापित है, जिनमें 34.4 करोड़ रूपये का उत्पादन किया गया है ।

39. राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है । खनिज संपदा की दृष्टि से हमारा राज्य समृद्ध है । इस वर्ष राज्य को 455 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त होने की संभावना है जो वर्ष 2002-2003 में बढ़कर 500 करोड़ रूपये होने का अनुमान है । प्रदेश में खनिज संपदा के विकास व विदोहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज निगम में राज्य शासन द्वारा इस वर्ष 75 लाख रूपये का धनवेष्ठन किया जाएगा । खनिजों की खोज के लिए व्यापक सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है तथा फोटो भौमिकी और सुदूर संवेदन से नये खनिज की खोज का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । राज्य में खनिज विकास के वित्त पोषण के

लिए राज्य खनिज निधि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इस निधि से खनिज विकास से संबंधित सभी कार्यो के लिये राशि उपलब्ध होगी ।

40. विकास कार्यो के लिए जन सहभागिता योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत यदि किसी भी विकास कार्य के लिए मानव श्रम के रूप में अथवा धनराशि जन सहयोग प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत का अंशदान आवश्यक रूप में किया जाएगा । यह योजना गांव के विकास एवं नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । योजना के लिए अगले वर्ष 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

41. राज्य में कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तथा पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है । चालू वर्ष में इसके लिए रूपये 38.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया था । अगले वर्ष भी इस योजना में रूपये 50.60 करोड़ व्यय किया जाएगा । इसके अन्तर्गत थानों का सुदृढ़ीकरण, नये हथियार के क्रय, नए संचार उपकरण एवं पुलिस की परिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए वाहनों का क्रय आदि शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत नक्सली प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है । जेल सुधार योजना के अन्तर्गत जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिलों के जेलों को जिला जेल के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है । परिवहन राजस्व को बढ़ाने के लिए नई परिवहन चौकियों की स्थापना के अलावा कर प्रणाली को सरल एवं युक्तियुक्त बनाया जा रहा है । जांच चौकियों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

42. सरकार द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति दायित्वों के भुगतान की स्थायी व्यवस्था के लिए इस वर्ष के बजट में 20 करोड़ रूपये का ''पेंशन निधि'' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इससे आगामी वर्षो में पेंशन दायित्वों के निर्वहन में सहायता होगी ।

बजट अनुमान

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमान

43. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों के अनुमान 4671.31 करोड़ रूपये से बढ़कर 4739.13 करोड़ रूपये हो गया है, जो बजट अनुमान की तुलना में 67.82 करोड़ रूपये की वृद्धि दर्शाता है । वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्र शासन से मिलने वाले अनुदान में वृद्धि एवं राज्य के राजस्व विशेषकर वाणिज्यिक कर में अधिक वसूली के कारण है ।

44. वर्ष 2001-2002 में व्यय का अनुमान 5704.51 करोड़ रूपये का था, जो पुनरीक्षित अनुमान में 5831.48 करोड़ रूपये हो गया हैं । इस वृद्धि का मुख्य कारण आयोजना व्यय में वृद्धि है । वर्ष 2001-2002 में आयोजनेत्तर व्यय का प्रावधान 4172.70 करोड़ रूपये का था, जो कम होकर 3901.70 करोड़ रूपये हो गया है । 271 करोड़ रूपये की इस कमी के कारण इस वर्ष का राजस्व घाटा 379.37 करोड़ रूपये से घटकर 366.61 करोड़ रूपये होगा । कमी का मुख्य कारण बेहतर वित्तीय व्यवस्था तथा नई नियुक्ति पर प्रतिबंध है । इसके फलस्वरूप हम विकास की योजनाओं में अधिक राशि उपलब्ध करा सके ।

45. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में कुल प्राप्तियां 5536.95 करोड़ रूपये के विरूद्ध कुल व्यय 5704.51 करोड़ रूपये प्रावधानित था। पुनरीक्षित अनुमान में कुल प्राप्तियां 5726.88 करोड़ रूपये एवं कुल व्यय 5831.48 करोड़ रूपये होने का अनुमान है । पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लेखा के अंतिम शेष 192.87 करोड़ रूपये को मिलाकर इस वर्ष 297.47 करोड़ रूपये का ऋणात्मक अंतिम शेष होना अनुमानित है । बजट अनुमान से यह 42.87 करोड़ रूपये अधिक है, जिसका मुख्य कारण महालेखाकार से प्राप्त वर्ष 2000-2001 के लेखों में अंतिम शेष ऋणात्मक होना है ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 का बजट अनुमान

46. वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 5384.46 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। इसमें राज्य के कर राजस्व 2130.41 करोड़ व करेत्तर राजस्व 873.39 करोड़, केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में 1478.88 करोड़ तथा केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में 901.78 करोड़ रूपये शामिल है । लोक ऋण से शुद्ध प्राप्ति 973.54 करोड़ रूपये, ऋण एवं अग्रिम की वसूली से 23.51 करोड़ तथा लोक लेखा की शुद्ध प्राप्ति 224.18 करोड़ रूपये अनुमानित है । इस प्रकार वर्ष में कुल प्राप्तियां 6605.69 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

47. इस वर्ष आयोजनेत्तर व्यय में 4482.05 करोड़ एवं आयोजना व्यय में 2376.47 करोड़ रूपये का प्रावधान शामिल किया गया है । वित्तीय संव्यवहार के फलस्वरूप वर्ष 2002-2003 के आय-व्यय में रूपये 252.83 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है । वर्ष 2001-2002 के अंतिम ऋणात्मक शेष रूपये 297.47 करोड़ को मिलाकर वर्ष 2002-2003 का अंतिम ऋणात्मक शेष 550.30 करोड़ रूपये होना संभावित है ।

48. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-2003 में राज्य के कर राजस्व में चालू वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमान है । वाणिज्यिक कर की प्राप्ति में ही वृद्धि 15.50 प्रतिशत होगी । करेत्तर राज्य में भी 12.70 प्रतिशत भी वृद्धि होने का अनुमान है । इस प्रकार कुल राजस्व में लगभग 14.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य सरकार का प्रयास यह रहेगा कि राज्य की राजस्व का वृद्धि दर और अधिक हो ।

49. वर्ष का कुल राजस्व व्यय 5880 करोड़ रूपये है । राजस्व व्यय के प्रमुख मद वेतन, पेंशन एवं ऋण है । वेतन में चालू वर्ष की तुलना में अगले वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है । पेंशन की वृद्धि दर भी उतनी ही होगी । ब्याज की अदायगी में वृद्धि केवल 5.60 प्रतिशत है । परन्तु संतोष की बात यह है कि वेतन का भार राज्य सरकार पर इस वर्ष भी अधिक नहीं है । वेतन राजस्व व्यय का 35 प्रतिशत है और कुल व्यय का केवल 30 प्रतिशत है जबकि कुल राजस्व प्राप्ति में वेतन का हिस्सा केवल 37.96 प्रतिशत है । इस प्रकार राज्य शासन द्वारा वेतन व्यय पर नियंत्रण रखा गया है ।

50. यह भी उल्लेखनीय है कि जहां इस वर्ष शुद्ध लोक ऋण की प्राप्ति में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वहीं अच्छे वित्तीय प्रबंधन के कारण ब्याज भुगतान को सीमित रखा गया है । ब्याज भुगतान की वृद्धि दर ग्यारहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार 10 प्रतिशत से कहीं कम है ।

51. अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि वर्ष 2002-2003 में कुल आयोजना व्यय रूपये 2376.47 लाख

करोड़ होना अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.15 प्रतिशत अधिक है । राज्य की आयोजना के आकार में भी वृद्धि हुई है । आयोजना व्यय कुल व्यय का लगभग 35 प्रतिशत है । सबसे अधिक प्रसन्नता की बात तो यह है कि आयोजना व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत लगभग 39 है । इस प्रकार निर्माण कार्यो एवं अन्य परिसंपत्तियों के लिए अधिक धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है । अगले वर्ष लोक निर्माण विभाग के लिए 350.21 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है । जल संसाधन विभाग के लिए 463.63 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.40 प्रतिशत अधिक है । हसदेव बांगो परियोजना पूर्ण करने हेतु बजट में 178 करोड़ रूपये का प्रावधान शामिल है । इसमें सामाजिक क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के लिए 716.43 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा के लिए 202.67 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.50 प्रतिशत अधिक है । महिला बाल विकास विभाग के लिए प्रावधान 144.73 करोड़ रूपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.20 प्रतिशत अधिक है । इस प्रकार इस बजट में आर्थिक क्षेत्र में सड़क एवं पुल का निर्माण और जल संसाधन विकास तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा पर बल दिया गया है ।

52. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप कुल व्यय में आयोजनेत्तर व्यय में कमी की गई है । यह व्यय चालू वर्ष में लगभग 67 प्रतिशत था जो इस वर्ष घटाकर लगभग 65.35 प्रतिशत होने का अनुमान है । आयोजनेत्तर व्यय में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यत: धान उपार्जन में संभावित हानि के लिए 176 करोड़ रूपये के प्रावधान के कारण है ।

भाग–दो

53. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व बढ़ाने के उपायों के बारे में सदन को बताना चाहूँगा । आगामी वर्ष राजस्व बढ़ाने की हमारी रणनीति का मूल आधार करों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि कर की दरों को युक्तियुक्त करना, कर प्रक्रिया को सरल बनाना तथा कर प्रशासन को चुस्त बनाना होगा । राजस्व प्राप्ति से संबंधित मुख्य विभागों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । कर अपवंचन रोकने के लिये संबंधित विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही की जा रही है । राज्य की सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियाँ प्रारम्भ की जा रही हैं, जिससे प्रवर्तन का कार्य और अधिक प्रभावी हो सकेगा ।

54. जैसा कि सदन को ज्ञात है, 1 अप्रैल 2003 से नई कर प्रणाली ''वेट'' सभी प्रदेशों में लागू की जाएगी । यह कर प्रणाली लागू करने के लिये अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी विभिन्न वस्तुओं पर न्यूनतम समान दरें लागू कर दी गयी हैं । अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं । इसे ध्यान में रखते हुए तथा देश एवं राज्य में चल रही आर्थिक मंदी को दृष्टिगत रखते हुए अगले वर्ष वाणिज्यिक कर की दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। साथ ही राज्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयां देश में प्रतिस्पर्धा में उभरें तथा राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य से प्रचलित कर की दरों को युक्तियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

55. अध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर की दरों में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँः-

(1) प्रदेश की गरीब जनता द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल्यूमिनियम बर्तन को करमुक्त किया जावेगा। इसके अतिरिक्त पान के पत्ते को भी करमुक्त किया जावेगा।

(2) राज्य में स्थापित सीमेन्ट उद्योग स्टॉक ट्रान्सफर कम करें और विक्रय बढ़ायें, इस उद्देश्य से सीमेंट के विक्रय पर सी फार्म की अनिवार्यता समाप्त करते हुए कर की दर 12% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है । इससे एक करोड़ रूपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

(3) सड़क निर्माण के उपयोग में आने वाली मशीन तथा भारी उपकरण के स्थानीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित मशीनों एवं उपकरणों के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर सी फार्म की अनिवार्यता समाप्त करते हुए केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत की जायेगी । इससे राजस्व में वृद्धि संभावित है ।

(4) राज्य में स्टील फेब्रिकेशन पर आधारित लघु औद्योगिक इकाईयों के द्वारा निर्मित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर सी फार्म की अनिवार्यता समाप्त करते हुए केन्द्रीय विक्रय कर की दर 10% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार आयरन शीट के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% से घटाकर 1% किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही राज्य के भीतर पंजीकृत निर्माताओं के द्वारा आयरन शीट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करने पर प्रवेश कर से छूट दी

जायेगी । इससे इन वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि होगी एवं राज्य को लगभग 74 लाख रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है ।

(5) स्टील वायर निर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित वायर के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है ।

(6) राज्य में एल्यूमिनियम पर आधारित कई लघु उद्योग हैं, जो अभी प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के स्थानीय क्रय पर 2% की दर से सेटआफ दिया जायेगा तथा उनके द्वारा निर्मित माल पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है । इन उपायों से लगभग 64 लाख रूपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होना संभावित है ।

(7) स्थानीय प्लाईवुड उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से प्लाईवुड के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर सी फार्म की अनिवार्यता समाप्त की जाकर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% किया जाना प्रस्तावित है । इसी के साथ प्लाईवुड के राज्य के भीतर विक्रय पर वाणिज्यिक कर की प्रचलित दर 12% से घटाकर न्यूनतम समान दर के समकक्ष 8% किया जाना प्रस्तावित है । इससे व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिसके कारण राजस्व में वृद्धि होना संभावित है ।

(8) स्थानीय कैल्शियम नाईट्रेट उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा बंद पड़े ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से

आयातित कैल्शियम नाईट्रेट पर 10% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(9) स्थानीय फायर ब्रिक्स उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के भीतर फायर ब्रिक्स क्रय पर प्रवेश कर माफ किया जाना प्रस्तावित है ।

(10) फर्नेस ऑयल पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के उपयोग में आने वाले फर्नेस ऑयल पर प्रवेश कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

(11) प्रदेश में स्थित कोयला उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में कुछ ऐसी वस्तुएं प्रदेश के बाहर से क्रय की जा रही हैं जो कि प्रदेश में भी निर्मित हो रही हैं । इससे संबंधित उद्योगों पर प्रदेश के बाहर से आयातित केन बास्केट, ड्रिल राड तथा पी0वी0सी0 केसिंग पाईप पर 10% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(12) स्थानीय ताप विद्युत गृह से निकल रहे फ्लायऐश का अधिकतम उपयोग हो, इस उद्देश्य से तथा प्रदेश के बाहर से फ्लायऐश आयात को हतोत्साहित करने के लिये इस पर 10% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है । इसके साथ साथ राज्य के फ्लायऐश ईंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर से आयातित फ्लायऐश ईंट पर 5% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(13) राज्य के खाद्य तेल उद्योग तथा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिये खाद्य तेल एवं खल्ली पर प्रचलित केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 4% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है ।

(14) राज्य के फ्लोर मिलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर से आयातित आटा, मैदा, सूजी एवं चोकर पर 5% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(15) वनस्पति घी के स्थानीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा इसके स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के बाहर से आयातित वनस्पति घी पर 20% की दर से प्रवेश कर लगाया जा रहा है ।

(16) तम्बाकू-युक्त पानमसाला व गुड़ाखू के उपभोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इसके क्रय पर 20% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(17) छोटे व्यवसायियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से आयातकर्ता एवं निर्माता से भिन्न व्यापारियों के लिये संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रचलित सीमा 40 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये वार्षिक बिक्री किया जाना प्रस्तावित है ।

(18) रेडिमेड वस्त्रों के अन्तर्राज्यीय विक्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनके अन्तर्राज्यीय विक्रय पर सी फार्म की अनिर्वायता समाप्त की जाकर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% किया जाना प्रस्तावित है ।

(19) न्यूनतम समान दर के समकक्ष करने के उद्देश्य से निम्न वस्तुओं पर वाणिज्यिक कर की दर निम्नानुसार युक्तियुक्त किया जाना प्रस्तावित है:-

ईट	प्रचलित दर 8% से घटाकर 4%
पम्प्स एवं ऑयल इंजिन	प्रचलित दर 8% से घटाकर 4%
एयर कूलर	प्रचलित दर 15% से घटाकर 8%
मोल्डेड फर्नीचर	प्रचलित दर 12% से घटाकर 8%
मोटरपार्ट्स	प्रचलित दर 12% से घटाकर 8%

56. अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष वृत्ति कर की दरों में जो परिवर्तन किया गया था उसमें कुछ विसंगति होने के बारे में कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुए वृत्ति कर की प्रचलित दरों को निम्नानुसार युक्तियुक्त किया जाना प्रस्तावित है :-

रूपये 1,00,000 तक की आय पर	निरंक
रूपये 1,00,001 से 1,50,000 तक	रूपये 1560 (रू 130 प्रतिमाह)
रूपये 1,50,001 से 2,00,000 तक	रूपये 1800 (रू 150 प्रतिमाह)
रूपये 2,00,001 से 2,50,000 तक	रूपये 2400 (रू 200 प्रतिमाह)
रूपये 2,50,000 से अधिक	रूपये 2500 (रू 208.33 प्रतिमाह)

57. विलासिता कर की प्रचलित दरों को निम्नानुसार युक्तियुक्त किया जाना प्रस्तावित है:-

होटल के कमरे के प्रतिदिन के किराये के आधार पर कर दर निम्नानुसार होगी:-

रूपये 150 से कम	निरंक
रूपये 150 से रूपये 500 तक	किराये का 5 प्रतिशत
रूपये 500 से अधिक	किराये का 10 प्रतिशत

58. वर्तमान में केबल आपरेटरों से जनसंख्या के आधार पर 20,000 से 50,000 तक जनसंख्या वाले नगरों में 5 रूपये तथा 50,000 से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों में 10 रूपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है । अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के 10,000 से 50,000 हजार जनसंख्या वाले नगरों में 10 रूपये तथा 50,000 से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों में 20 रूपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क आरोपित किया जाना प्रस्तावित है । इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.80 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय संभावित है ।

59.(1)भाड़े पर चलने वाले वाहनों की कर की दरें 1997 में निर्धारित की गई थीं । इन दरों का युक्तियुक्तकरण अब आवश्यक हो गया है । यह युक्तियुक्तकरण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिये वाहन, जैसे मोटर सायकिल या आटोरिक्शा, पर वर्तमान दर 40 रूपये प्रतिसीट प्रतितिमाही से बढ़ाकर 50 रूपये करना प्रस्तावित है ।

(ख) तीन से अधिक किन्तु छः से अनधिक सीट वाले वाहनों पर वर्तमान कर दर 50 रूपये प्रतिसीट प्रतितिमाही है । इसे दो श्रेणी में विभाजित कर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्राप्त वाहनों के लिये

200 रूपये, तथा अन्य वाहनों के लिये 150 रूपये प्रतिसीट प्रतितिमाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(ग). छः से अधिक सीट वाले एक्सप्रेस सेवा स्टेज कैरिज और कान्ट्रेक्ट कैरिज के लिये वर्तमान कर दर 80 रूपये प्रतिसीट प्रतितिमाही को बढ़ाकर 125 रूपये किया जाना प्रस्तावित है ।

(घ). छः से अधिक सीट वाले साधारण सेवा के लिये वर्तमान कर दर 60 रूपये प्रतिसीट प्रतितिमाही को बढ़ाकर 100 रूपये किया जाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त उपायों से 35 लाख रूपये का अतिरिक्त राजस्व संभावित है ।

(2) सीमावर्ती राज्यों के मालयानों की तिमाही दरों की तुलना में छत्तीसगढ़ की दरें अधिक हैं । अतः इनको घटाकर एक सामान्य ट्रक (16200 किलोग्राम पंजीकृत लदान भार) का तिमाही कर 3025 रूपये से घटाकर 2500 रूपये प्रति तिमाही किया जाना प्रस्तावित है । इसके साथ ही तिमाही कर की दरों के प्रचलित 17 स्लैब को समाप्त करते हुए माल यान के पंजीकृत लदान भार 2000 किलोग्राम के पश्चात प्रति 500 किलोग्राम एक निश्चित दर निर्धारित करना प्रस्तावित है । यह निश्चित दर प्रति अतिरिक्त 500 किलोग्राम अथवा उसके हिस्से के लिये 75 रूपये प्रति तिमाही होगी । इससे राजस्व में लगभग 7 करोड़ रूपये की कमी होने की संभावना है, जिसकी भरपाई अन्य योजनाओं जैसे स्पेशल टोकन प्रणाली से करने का प्रयास किया जाएगा ।

(3) 3500 किलोग्राम तक के छोटे माल वाहनों जैसे लोडिंग आटो, टेम्पो आदि को भी जीवन-काल कर वर्ग में रखा जाना प्रस्तावित है । इसके लिये नवीन वाहनों की कीमत के आधार पर जीवन-काल कर निर्धारित किया जावेगा । 2.5 लाख रूपये तक की कीमत के वाहनों पर कर की दर वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत तथा 2.5 लाख रूपये से अधिक कीमत के वाहनों पर 10 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है । पुराने वाहनों के जीवनकाल दर वाहन के विक्रय मूल्य के आधार पर रखा जाना प्रस्तावित है ।

(4) मोटरयान कराधान अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 9 में आनेवाले वाहनों की दरों का पुनरीक्षण वर्ष 1997 में किया गया था । इन दरों का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है । दरों में निम्नानुसार परिवर्तन प्रस्तावित है :-

ऐसे वाहन जिनका रजिस्ट्रीकृत लदान वजन 1000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, की वर्तमान तिमाही कर दर 152 रूपये से बढ़ाकर 175 रूपये किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार 1000 से 2000 कि. ग्रा. लदान वजन के वाहन पर तिमाही दर 200 से बढ़ाकर 225 रूपये; 2000 से 3000 कि.ग्रा. लदान वजन के वाहनों पर तिमाही दर 290 से बढ़ाकर 350 रूपये; 3000 से 4000 कि.ग्रा. के वाहनों पर तिमाही दर 382 से बढ़ाकर 475 रूपये; 4000 से 5000 कि.ग्रा. के वाहनों पर तिमाही दर 527 से बढ़ाकर 600 रूपये; 5000 से 6000 कि.ग्रा. के वाहनों पर तिमाही दर 690 से बढ़ाकर 800 रूपये; 6000 से 7000 कि. ग्रा. के वाहनों पर तिमाही दर 871 से बढ़ाकर 1000 रूपये; एवं तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये तिमाही दर 254 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिये वर्तमान तिमाही दर 73 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये किया जाना प्रस्तावित है ।

(5) कृषि में उपयोग आने वाले हारवेस्टर एवं अन्य भारी वाहन कृषकों के स्वामित्व के नहीं हैं तथा सामान्यत: राज्य से बाहर से किराये पर कार्य करने हेतु आते हैं । ऐसे वाहनों पर कर लिया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार रिग मशीन तथा क्रेन भी वाणिज्यिक आधार पर उपयोग की जाती है । इन पर भी कर आरोपित किया जाना आवश्यक है । इसलिये ऐसे यानों पर लदान-रहित भार 1000 किलोग्राम से अधिक न होने पर 200 रूपये प्रतितिमाही एवं उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 किलोग्राम भार या उसके भाग के लिये 300 रूपये प्रतितिमाही कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है ।

60. अध्यक्ष महोदय, मैं इस वास्तविकता से पूर्णत: अवगत हूँ कि उपरोक्त तरीकों से बजट घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती है । परन्तु राज्य सरकार वर्ष के दौरान अतिरिक्त आय के स्त्रोतों को विकसित कर, करों की वसूली में अधिक चुस्ती लाकर तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से इस बजट घाटे को सीमित रखने का भरसक प्रयास करेगा । इसके अलावा शीघ्र ही शासकीय व्यय में मितव्ययिता के लिये विस्तृत निर्देश जारी किये जाऐंगे । इन उपायों के अमल से भी घाटे में कमी होगी ।

धन्यवाद